

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1850 /2020

दिनांक 08.10.2020

श्रीमती उपासना कावट (RJ1131), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 24.08.2020 से 26.08.2020 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 22.08.2020 से 23.08.2020 एवं 27.08.2020 से 30.08.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।
2. दिनांक 14.09.2020 से 19.09.2020 तक 06 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 12.09.2020 से 13.09.2020 एवं 20.09.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।

श्रीमती कावट की अनुपस्थिति में न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, खैराबाद (कोटा) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा) के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से  
08/10/2020  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/119/2016/ 4572

दिनांक 08.10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 2523/2990 दिनांक 31.08.2020/22.09.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती उपासना कावट (RJ1131), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा) ।
5. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, खैराबाद (कोटा) ।

सहायक रजिस्ट्रार